सरकारी कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए कई प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाने का प्रावधान होता है। रेल कर्मचारियों को भी उनमें से निम्नलिखित भत्ते नियम, शर्तें एवं पात्रता के अनुसार प्रदान किए जाते हैं –

- **मंहगाई भत्ता** – पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1960 को आधार वर्ष मानते हुए सूचकांक 608 से ऊपर होने पर मंहगाई भत्ता देय हो जाता है। यह 12 महीने में हुई वृद्धि के आधार पर वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में देय होता है। वर्तमान में मंहगाई भत्ते की दर वेतन + मंहगाई वेतन पर 24 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जा रहा है। रनिंग कर्मचारियों को इसकी गणना में रनिंग एलाउन्स का तत्व गिनकर प्रदान किया जाता है।

- **मकान किराया भत्ता** – यह भत्ता रेल कर्मचारियों को जिनको आवास उपलब्ध नहीं कराया गया हो, मकान किराए के भुगतान करने के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। इसके लिए शहरों का वर्गीकरण अलग से किया जाता है और वर्तमान में यह मूल वेतन के 5 से 30 प्रतिशत की दर से शहरों के अनुसार प्रदान किया जा रहा है। यदि पति व पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हों और निजी या किराए के मकान में रहते हों तो यह भत्ता दोनों को मिलेगा। दोनों में से किसी एक को भी सरकारी आवास उपलब्ध हो तो दूसरे को नहीं मिलेगा चाहे वह आवास किसी कर्मचारी को राज्य कर्मचारी की हैसियत से मिला हुआ हो।

- **परिवहन भत्ता –** जिन रेल कर्मचारियों को प्रतिदिन कार्यालय/ड्यूटी पॉइन्ट पर आने के लिए वाहन की सुविधा का उपयोग करना पड़ता हो तथा जो काम की जगह से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर निवास करते हों, उन्हें परिवहन भत्ता वेतन के अनुसार तथा शहरों की श्रेणी के अनुसार 75/– रुपये से लेकर 800/– रुपये तक प्रदान किया जाता है। जो रेल कर्मचारी रोड़ साइड स्टेशनों पर काम करते हों उन्हें यह भत्ता प्रदान नहीं किया जाता है क्योंकि उनके लिए क्वार्टर की व्यवस्था वहीं विहित की जाती है। यह भत्ता आयकर से मुक्त होता है। विकलांग कर्मचारियों को यह भत्ता सामान्य से दुगनी दर पर मंजूर किया जाता है।

- **यात्रा भत्ता –** सभी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि से अधिक ड्यूटी पर यात्रा करने हेतु प्रदान किया जाता है। इसके तहत–

- 6 घंटे से कम अवधि की ड्यूटी होने पर दैनिक भत्ते का 30 प्रतिशत
- 6 घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे से कम दैनिक भत्ते का 70 प्रतिशत
- 12 घंटे से अधिक ड्यूटी करने पर दैनिक भत्ते का शत प्रतिशत

ड्यूटी की अवधि प्रतिदिन अर्द्ध रात्रि से अर्द्ध रात्रि के लिए गिनी जाती है। इसके लिए वेतन सीमा को 5 भागों में बांटा गया है जिसके अनुसार कम से कम 55/– रुपये और अधिकतम 260/– रुपये प्रतिदिन की दरें विहित की गई है। विशेष उल्लेख है कि किसी शहर को यात्रा भत्ते के उद्देश्य से मंहगा नामित किया जा सकता है किन्तु मकान किराए के लिए वह निम्न श्रेणी का हो सकता है।

जो कर्मचारी ब्रेकडाउन ड्यूटी करते हैं उनके लिए न्यूनतम 8 किलोमीटर की दूरी की शर्त लागू नहीं होती।

प्रशिक्षण के दौरान यात्रा/दैनिक भत्ता – रेल कर्मियों का पुनश्चर्या या पदौन्नति/विशेष पाठ्योक्रमों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन होने पर उन प्रशिक्षण संस्थानों में जहाँ भोजन हेतु मैस की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई हो, कर्मचारियों के दैनिक भत्ते का 80 प्रतिशत मैसिंग प्रभार के लिए कटौती करने का प्रावधान है तथा 20 प्रतिशत भत्ता उन्हें क्लेम करने पर प्रदान किया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण केन्द्र के मुख्यालय को जाने एवं प्रशिक्षण के बाद पुनः अपने मुख्यालय को लौटने के लिए नियमानुसार पूरा यात्रा भत्ता प्रदान करने का नियम है।

- **समेकित यात्रा भत्ता** – जिन कर्मचारियों को बार–बार यात्रा करनी होती है अर्थात महिने में 20 से 25 दिन की लगभग यात्रा करनी हो, महाप्रबंधक के अनुमोदन से स्थाई/समेकित यात्रा मंजूर करने का प्रावधान है।
- **सड़क परिवहन भत्ता (माइलेज भत्ता) एवं कंटींजेंसी प्रभार** – सड़क से यात्रा करने पर अनुमेय होता है। इसकी गणना करने का मूल नियम है सबसे कम दूरी के मार्ग और सबसे सस्ते परिवहन की सुविधा जो उपलब्ध हो, का भुगतान किया जाय। इसके लिए वेतन वर्ग के अनुसार पात्रतानुरूप सड़क परिवहन की दरें मंजूर की गई है।
- **समयोपरि भत्ता**
- **रात्रि पहरा भत्ता** – यह भत्ता केवल स्थाई गैंगमेन या अस्थाई दर्जा प्राप्त आकस्मिक श्रमिक को प्रदान किया जाता है।
- **रात्रि ड्यूटी भत्ता** – यह भत्ता कतिपय अराजपत्रित कर्मचारियों को रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वास्तविक रूप से ड्यूटी करने पर दिया जाता है। प्रत्येक घंटे की अवधि के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है।

- **राष्ट्रीय अवकाश भत्ता** – यह भत्ता कर्मचारियों को तभी मिलता है जब वह राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करे या उस दिन उसका साप्ताहिक विश्राम का दिन पड़ जाए।
- **डॉक्टरों को प्रेक्टिस बन्दी भत्ता**
- **प्रतिनियुक्ति भत्ता**
- **प्रशिक्षण भत्ता** – संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थानों में मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रदान किया जाता है।
- **रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों को राशन भत्ता**
- **सवारी भत्ता (कन्टीजेन्सी एलाउन्स)**
- **अनुसंधान भत्ता/चिकित्सकों को वार्षिक भत्ता**
- **चिकित्सकों को स्नातकोत्तर भत्ता**
- **वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता** – नर्सिंग कर्मचारियों जैसे – प्रभारी सिस्टर, मेट्रन, नर्सिंग सिस्टर तथा मिड वाइफ और स्वास्थ्य परिचारकों को दिया जाता है।
- **मैसिंग भत्ता** – यह नर्सिंग कर्मचारियों को दिया जाता है।
- **नर्सिंग भत्ता** – यह नर्सिंग कर्मचारियों को दिया जाता है।
- **धुलाई भत्ता** – सभी ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को जिनको वर्दी दी गई है, प्रदान किया जाता है। केन्टिन कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाता है।
- **साइकिल भत्ता** – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसे कार्यालय प्रयोग हेतु साइकिल पर इधर–उधर ड्यूटी के लिए जाना होता है, उसे रखरखाव हेतु प्रदान किया जाता है।
- **टैन्योर भत्ता** – रेलवे बोर्ड में ग्रुप 'ए' अधिकारियों को दिया जाता है।
- **विकलांग भत्ता** – चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 100/– नियम व शर्तें पूरी करने पर प्रदान किया जा सकता है।
- **जेबखर्च भत्ता** – यह रेलवे की टीमों के खिलाड़ियों को दिया जाता है जब वे कोचिंग कैम्प/खेलों में भाग लेने हेतु ड्यूटी पर भेजे जाएं तो 10/– रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और अधिकतम 30 दिनों के लिए प्रदान किया जा सकता है।
- **झौंपड़ी भत्ता**
- **आउट–टर्न भत्ता**
- **कठिन ड्यूटी भत्ता**

- **जनजाति क्षेत्र भत्ता**
- **रिमोट लोकेशन भत्ता**
- **खराब जलवायु भत्ता**
- **बोर्डर भत्ता**
- **प्रतिपूरक सर्वेक्षण व निर्माण भत्ता**
- **परियोजना भत्ता**
- **विशेष ड्यूटी भत्ता** (यह पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में स्थानान्तरण पर मिलता है।)
- **राष्ट्रीय अवकाश भत्ता**
- **विशेष पर्वतीय क्षेत्र भत्ता**
- **ब्रेकडाउन भत्ता**
- **सुन्दर वन भत्ता**
- **रनिंग कर्मचारियों को रनिंग भत्ते**

इस प्रकार उपरोक्त सभी तरह के भत्ते नियम एवं शर्तें पूरी करने पर पात्रता के अनुसार रेल कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी की मंजूरी से प्रदान किए जाते हैं।

समेकित स्थानान्तरण एवं पैकिंग भत्ता – 01.10.97 से यह भत्ता एकमुश्त प्रदान किया जाता है। इसमें प्रशासनिक हित में स्थानान्तरण, पदौन्नति, प्रतिनियुक्ति, सेवा निवृति, समायोजन इत्यादि के अवसर पर जब कर्मचारी का एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय पर किया जाता है। जिसमें आवास परिवर्तन भी सम्मिलित हो तो यह भत्ता अनुमेय किया जाता है। वर्तमान में यह भत्ता कर्मचारी के एक माह के मूल वेतन एवं मंहगाई वेतन के बराबर प्रदान किया जाता है। मूल वेतन से आशय पदभार से कार्यमुक्त होते समय सेवा के पद का मूल वेतन गिना जाता है। स्थानान्तरण, शहर के बाहर किसी अन्य स्टेशन पर जो 20 किमी. या अधिक दूरी पर स्थित हो, होना चाहिए तथा आवास परिवर्तन भी किया जाना हेा। यह भत्ता ऐसे मामलों में पूरी दरों पर मिलता है। यदि सामान व मोटर कार वी.पी.यू. से ले जाया जाता है तो यह भत्ता 80 प्रतिशत प्रदान किया जाता है अन्यथा इसकी 75 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है। यदि स्थानान्तरण 20 किलोमीटर के अन्दर हो या उसी नगर की सीमा में हो तो यह भत्ता एक तिहाई प्रदान किया जाता है। मृत्यु के मामलों में कर्मचारी के परिवार को भी यह भत्ता नियमानुसार प्रदान किया जाता है। इस भत्ते को प्रदान करने की समय सीमा सामान्यतः छः माह की अवधि नियत है। मृत्यु के मामलों में यदि कर्मचारी के परिवार ने आवास को रोकने की अनुमति ली हो तो इसे 30 माह की अवधि तक प्रदान किया जा सकता है।